छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in

क्रमांक– 90 / रेरा / 2023 / 1119 रायपुर, दिनांक 24/08/2023

/ / परिपत्र / /

विषय :– पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत्।

-----00------

प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न परिपत्र के माध्यम से भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा–4 एवं धारा–9 के अंतर्गत प्रमोटर्स / एजेंटस् को प्रोजेक्टस् / एजेंटस् रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज में प्राधिकरण के द्वारा प्रमोटर्स / एजेंटस् के आधार व पेन कार्ड की जानकारी माँगी जाती हैं, जिसे प्राधिकरण के वेबपोर्टल के पब्लिक डोमेन से पहले ही हटाया जा चुका है। UIDAI (Unique Identification Authority of India) द्वारा ई–मेल के माध्यम से यह सूचना / निर्देश दिया गया है कि प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर प्रमोटर्स / एजेंटस् के द्वारा अन्य दस्तावेजों के साथ या किसी अन्य दस्तावेजों के जगह आधार कार्ड की जानकारी अपलोड़ की जा रही है। चूंकि यह दस्तावेज प्राधिकरण के वेबपोर्टल के पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और यह एक निजी दस्तावेज है, जो कि आधार अधिनियम, 2016 संशोधन 2019 की धारा–33 का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुऐ प्राधिकरण द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेबपोर्टल के पब्लिक डोमेन से दस्तावेजो को हटा दिया गया हैं एवं निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता हैः–

(1). प्रमोटर्स के प्रोजेक्टस् / एजेंटस् के रजिस्ट्रेशन हेतु उन्हें केवल हार्ड कॉपी में अन्य दस्तावेजो के साथ संलग्न आधार, पेन कार्ड की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी एवं वेबपोर्टल पर अपलोड़ करते समय आधार, पेन कार्ड एवं अंगूठे के निशान संबंध जानकारी को हटाकर या तकनीकी माध्यम से इसे छुपाकर वेबपोर्टल पर अपलोड़ करना होगा।

(2). सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्टस् / एजेंटस् जिनके द्वारा दस्तावेजों की जानकारी पहले ही अपलोड़ की जा चुकी हैं, उनके द्वारा संबंधित दस्तावेज जिसमें आधार, पेन कार्ड एवं अंगूठे के निशान की जानकारी संलग्न या उल्लेख है में उपरोक्त प्रणाली (1) का उपयोग करते हुए दस्तावेज पुनः अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(3). यह नियम केवल उन दस्तावेजो पर लागू होंगे, जिन दस्तावेजों में आधार, पेन कार्ड एवं अंगूठे का निशान का उल्लेख किया गया हैं या उन दस्तावेजों के भाग (Supporting documents) हैं।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर